रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 696] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2011/पौष 8, 1933
No. 696] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2011/PAUSA 8, 1933

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 914(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उप-धारा (1) एवं धारा 211 की उप-धारा (3ग) के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेखांकन मानकों संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श करके कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती हैं, नामत: :—

1. (1) इन नियमों को कंपनी (लेखांकन मानक) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा जाएगा) में अनुलग्नक में शीर्ष "ख लेखांकन मानक" के अंतर्गत "विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनों का प्रभाव" से संबंधित उप-शीर्ष "लेखांकन मानक (एएस) 11" में अनुच्छेद 46 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामत: :—

"46क. (1) 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधि के संबंध में, वैसे उद्यम के लिए जिन्होंने पहले अनुच्छेद 46 के तहत विकल्प का प्रयोग किया है एवं किसी अन्य उद्यम के विकल्प पर (ऐसा विकल्प अपरिवर्तनीय होगा एवं ऐसी सभी विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर लागू होगा) इस अवधि के प्रारंभ में रिकार्ड किए गए या पिछले वित्तीय विवरणों में दी गई दरों से भिन्न दर पर लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग से उत्पन्न विनिमय अंतर, जहां तक उनका संबंध अवमूल्यन योग्य पूंजी संपत्ति के अधिग्रहण से है, को संपत्ति की कीमत में जोड़ा या उससे घटाया जा सकता है एवं संपत्ति के शेष जीवन से घटाया जा सकता है, एवं अन्य मामलों में, उद्यम के वित्तीय विवरणों में "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाता" में जमा किया जा सकता है, एवं उक्त नियमावली के अनुच्छेद 15 के उपबंधों के अनुरूप निकाले गए विनिमय अंतरों को छोड़कर ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय मानकर ऐसी लंबी अवधि की संपत्ति या देयता की बाकी अवधि में परिशोधित किया जा सकता है ।

(2) उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित विकल्प का प्रयोग करने के लिए, यदि परिसंपत्ति या देयता को विदेशी मुद्रा में व्यक्त किया जाता है एवं परिसंपत्ति या देयता के प्रारंभ होने की तिथि में उसकी अवधि 12 माह या उससे अधिक है तो किसी संपत्ति या देयता को लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद के रूप में परिभाषित किया जाएगा :

बशर्ते उद्यम द्वारा चुना गया विकल्प ऐसे विकल्प के तथ्य का एवं उस अवधि के वित्तीय विवरण में, जिसमें ऐसा विवरण चुना गया हो एवं तत्पश्चात् आने वाले प्रत्येक अवधि में परिशोधित होने के लिए शेष राशि का प्रकटीकरण करेगा जब तक कि परिशोधन हेतु कोई विनिमय अंतर शेष रहता है ।"

[फा. सं. 17/133/2008-सीएल. V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 739(अ),

दिनांक 7 दिसम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे एवं अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 212(अ), दिनांक 27 मार्च, 2008 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था एवं सा.का.नि. 225(अ), दिनांक 31 मार्च, 2009 एवं सा.का.नि. 378(अ), दिनांक 11 मई, 2011 द्वारा इसमें पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए थे ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2011

G.S.R. 914(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 642 read with sub-section (1) of Section 210A and sub-section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards, hereby makes the following amendments in the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Companies (Accounting Standards) (Second Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 (hereinafter referred to as the said rules), in the Annexure, Under the heading "B. ACCOUNTING STANDARDS", in the sub-heading "Accounting Standard (AS) 11" relating to "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", after paragraph 46, the following Paragraph shall be inserted, namely,—

"46A. (1) In respect of accounting periods commencing on or after the 1st April, 2011, for an enterprise which had earlier exercised the option under paragraph 46 and at the option of any other enterprise (such option to be irrevocable and to be applied to all such foreign currency monetary items), the exchange differences arising on reporting of long-term foreign currency monetary items at rates different from those at which they were initially recorded during the period, or reported in previous financial statements, in so far as they relate to the acquisition of a depreciable capital asset, can be added to or deducted from the cost of the asset and shall be depreciated over the balance life of the asset, and in other cases, can be accumulated in a "Foreign Currency Monetary Item Translation Difference Account" in the enterprise's financial statements and amortized over the balance period of such long term asset or liability, by recognition as income or expense in each of such periods, with the exception of exchange differences dealt with in accordance with the provisions of paragraph 15 of the said rules.

(2) To exercise the option referred to in sub-paragraph (1), an asset or liability shall be designated as a long-term foreign currency monetary item, if the asset or liability is expressed in a foreign currency and has a term of twelve months or more at the date of origination of the asset or the liability:

Provided that the option exercised by the enterprise shall disclose the fact of such option and of the amount remaining to be amortized in the financial statements of the period in which such option is exercised and in every subsequent period so long as any exchange difference remains unamortized."

[F. No. 17/133/2008 CL. V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 739(E), dated the 7th December, 2006 and amended *vide* notification number G.S.R. 212(E), dated the 27th March, 2008 and subsequently amended by No. G.S.R. 225(E), dated the 31st March, 2009 and No. G.S.R. 378(E), dated the 11th May, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.